टी बोर्ड • भारत TEA BOARD • INDIA
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार के अधीन)
(under Ministry of Commerce & Industry, Deptt. of Commerce, Govt. of India)
North Eastern Zonal Office
Housefed Complex, Central Block, 5th & 6th Floor, Dispur, Guwahati-781006
Telephone : 0361-2228944 - 45
email : teaboardguwahati@hotmail.com • teaboard.guwahati@gov.in, Website : www.teaboard.gov.in

संदर्भ सं: 7(15)/गुवा/टीएमसीओ/2003/ दिनांक 12.09.2022

आदेश

चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के खंड 13(3) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, सभी चाय निर्माताओं द्वारा अनिवार्य अनुपालन के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं।

क्र.सं.	**विवरण**	**असम और त्रिपुरा क्षेत्र के कछार / बराक घाटी जिले में स्थित विनिर्माण इकाइयों के लिए कार्यान्वयन की तिथि**	**असम और त्रिपुरा की कछार / बराक घाटी को छोड़कर, असम और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सभी हिस्सों में स्थित विनिर्माण इकाइयों के लिए कार्यान्वयन की तिथि**
i.	सभी चाय कारखानों के लिए हरी पत्ती प्राप्त करने की अंतिम तिथि।	**17th दिसम्बर 2022**	**10th दिसम्बर 2022**
ii.	सभी इकाइयों के लिए कारखाने में हरी पत्ती के प्रसंस्करण की अंतिम तिथि	**20th दिसम्बर 2022**	**13th दिसम्बर 2022**
iii.	सभी चाय विनिर्माण इकाइयों द्वारा अपने विनिर्माण को बंद करने के संबंध में टी बोर्ड को सूचना/घोषणा की अंतिम तिथि।	**21st दिसम्बर 2022**	**14th दिसम्बर 2022**
iv.	सॉर्टिंग, गैपिंग, पैकिंग (सीटीसी और ऑर्थोडॉक्स/ग्रीन टी) को पूरा करने और पैक्ड टी को इनवॉइस मार्किंग के साथ अधिसूचित पैक्ड टी स्टोरेज एरिया में ले जाने की अंतिम तिथि।	***31st दिसम्बर 2022*** *(सीटीसी चाय विनिर्माण हेतु)* ***5th जनवरी 2023*** *(ऑर्थोडॉक्स / हरी चाय निर्माण हेतु)*	***24th दिसम्बर 2022*** *(सीटीसी चाय विनिर्माण हेतु)* ***29th दिसम्बर 2022*** *(ऑर्थोडॉक्स / हरी चाय निर्माण के लिए)*

1. निर्देश का पालन करने में विफलता की स्थिति में, बोर्ड द्वारा चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के खंड 5(1)(डी) के अनुसार आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
2. यह आदेश बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर जारी किया गया है और दिनांक 26.09.2018 को आयोजित 237वीं बोर्ड बैठक में इसकी पुष्टि की गई है।

Sd/-
कार्यपालक निदेशक, टी बोर्ड & पंजीकरण प्राधिकरण

वितरण:

1. संबंधित क्षेत्र के सभी चाय उत्पादक संघ।
2. संबंधित क्षेत्र के सभी बॉट लीफ चाय उत्पादक संघ।
3. संबंधित क्षेत्र के सभी लघु चाय उत्पादक संघ।
4. संबंधित क्षेत्र में स्थित टी बोर्ड के सभी क्षेत्रीय / उप-क्षेत्रीय कार्यालय - सभी चाय निर्माताओं, चाय संघों, जिला हरी पत्ती मूल्य निगरानी समिति के बीच संचलन और आदेश के अनुपालन की आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए।
5. उपाध्यक्ष, टी बोर्ड - सूचना के पक्ष में।